न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07/2024

बउनवान

गंगाबाई आयु 75 साल पुत्री श्री कृष्ण पत्नि श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी किशनपुरा तहसील मॉगरोल जिला बारां हाल ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा राज० 'मृतक'

1/1. रामनिवास आयु 59 वर्ष पुत्र बिरधीलाल माता गंगाबाई

1/2. कालूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र बिरधीलाल माता गंगाबाई

1/3. गिर्राज उर्फ गिरिराज आयु 50 वर्ष पुत्र बिरधीलाल माता गंगाबाई जाति धाकड निवासीगण किशनपुरा तहसील मॉगरोल जिला बारां हाल निवासी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा

1/4. सीमाबाई आयु 37 वर्ष पुत्री बिरधीलाल माता गंगाबाई पत्नि रामेश्वर जाति धाकड निवासी डाबर बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा

1/5. रेखाबाई आयु 39 वर्ष पुत्री बिरधीलाल माता गंगाबाई पत्नि मुरली जाति धाकड निवासी पाडसलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

1/6. मनभरबाई आयु 29 वर्ष पुत्री बिरधीलाल माता गंगाबाई पत्नि सूर्यप्रकाश जाति धाकड निवासी झागडोद तहसील दीगोद जिला कोटा

1/7. कौशल्याबाई आयु 53 वर्ष पुत्री बिरधीलाल माता गंगाबाई पत्नि श्योजी जाति धाकड निवासी गेंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्री कृष्ण जाति धाकड निवासी किशनपुरा
2. आनन्दलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी किशनपुरा तहसील सागरोल जिला बारा राज०
3. केसरीलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी किशनपुरा (मृतक)

3/1. कंवरी उर्फ नन्दूकंवर पत्नि श्री रामेश्वर पुत्री केसरीलाल जाति धाकड निवासी पाकलखेडा रोड सीसवाली तहसील मॉगरोल जिला बारां

3/2. लीलाबाई पत्नि रामेश्वर पुत्री श्री केसरीलाल जाति धाकड निवासी माखीदा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी राज०

3/3. संतोष पत्नि श्री रमेश पुत्री केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी कच्ची बस्ती, कबीर आश्रम की गली, रंगबाड़ी बालाजी, कोटा (राज0)

4. राजस्थान सरकार जय तहसीलदार मौगरोल
5. बलदाऊ पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी किशनपुरा
6. महावीर पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी किशनपुरा तहसील मॉगरोल जिला बारां राज०

रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी इन्तकाल कमांक 95 दिनांक 15/09/1963

उपस्थितिः– 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा एड0 (अपीलांट)

2. श्री ओम भारद्वाज एड0 (रेस्पो. कम 1, 3/1 ता 3/3)

3. श्री सत्येन्द्र जामोदिया एड0 (रेस्पो. कम 2)

4. श्री कृष्णकांत शर्मा एड0 (रेस्पो. कम 5 व 6)

Signature Not Verified

निर्णय दि[illegible].2024

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.20 10:12:16 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट की ओर से जये अभिभा[illegible] प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट का पारिवारिक सजर[illegible]

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकिशन

केसरीलाल मृतक	प्रहलाद	आनंदीलाल	गंगाबाई

कंवरी उर्फ नंदूकंवर	लीला	संतोष

उपरोक्त सजरे से स्पष्ट है कि मृतक श्री कृष्ण उर्फ श्रीकिशन के तीन पुत्र व एक पुत्री कानूनी वारिस है। सम्वत 2018 से 2021 की जमाबन्दी ग्राम किशनपुरा में मृतक श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकिशन वल्द धूलीलाल के आराजी खसरा नंबर 50 बोरीवाला, खसरा नंबर 85 होगोरी, खसरा नंबर 110 टुकडी गोरी वाली, खसरा नंबर 384 खेतरपास, खसरा नबर 407 बाला कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा स्थित है जो श्रीकिशनजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के रूप में जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में उनके पुत्र केसरीलाल, आनन्दीलाल, प्रहलाद बेटे श्रीकिशन के हिस्से में इन्तकाल नंबर 95 से दर्ज हुई। मृतक श्रीकिशन के 3 पुत्र व 1 पुत्री गंगाबाई सुल्फी वारिस थे परन्तु रेस्पो० कम 1 ता 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलांट का नाम गोपनीय रखते हुए मात्र अपने नाम से इन्तकाल नंबर 95 दर्ज करवाया है जो कि खिलाफ कानून होने से निरस्त होने योग्य है। इन्तकाल जो तहसीलदार मॉगरोल द्वारा खोला गया है वह बिना तथ्यो व वारिसानं की जांच किए खोला गया है जिससे अपीलान्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है तथा वह अपने पैत्रिक अधिकारों से वंचित हो गई है। इसलिए न्यायहित मे उक्त इन्तकाल निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल की सर्वप्रथम जानकारी माह जून 2023 में होने पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया गया कि जब माह जून 2023 में अपीलांट ग्राम किशनपुरा गई वहां अपने हक हिस्से एंव काश्त की राशि की मॉंग करने एंव उसके भाईयों द्वारा विवाद करने व कहने पर कि पिताजी की जमीन मे तेरा कोई हिस्सा नहीं है. सारी जमीन हमारे नाम है, हम तुझे कुछ भी नहीं देगे। इस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर इन्तकाल व पुराना राजस्व रिकार्ड निकलवाने की कार्यवाही की गई जिसकी नकले प्राप्त होने व रूपये पैसो की व्यवस्था कर वकील साहब से मिलने पर यह अपील पेश की जा रही है। अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। उक्त विलम्ब न्यायहित में क्षम्य है। अतः अपील पेश करने में हुए विलमब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील अवधि मध्य समाअत फरमा कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा खोला गया इन्तकाल नंबर 95 दिनांक 15/09/1963 निरस्त फरमाया जावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो अपीलान्ट्स को दिलायी जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो0 क्रम 1, 3/1 ता 3/3, रेस्पो0 क्रम 2 तथा रेस्पो0 कम्र 5 व 6 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस रेस्पो० बलदाव, महावीर पुत्रगण प्रह्लाद जातिगण धाकड़ निवासीगण किशनपुरा तहसील मांगरोल की ओर से तथा महावीर की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश हुआ कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में जो प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का पेश किया है यह काल्पनिक व मिथ्या होने से अस्वीकार है अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है अपीलाट द्वारा कहीं भी अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि 15—9—1963 को खुले नामान्तकरण की जानकारी अपीलाटगण को जून 2023 में हुई उक्त इन्तकाल खुलने के लगभग 60 साल बाद हुई है का कोई विधिक ओर औचित्यपूर्ण कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नियत अवधि में ही प्रस्तुत की जा सकती है। निश्चित अवधि में प्रस्तुत नही होने पर देरी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.20 10:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कारण का दिन प्रतिदिन के अनुसार कारण दर्शित करना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा मात्र यह कह देना कि उसे 60 साल पूर्व खुले इंतकाल की जानकारी माह जून 2023 में हुई है विधिसंगत प्रतीत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी सर्वप्रथम माह जून 2023 में ग्राम किशनपुरा में होने से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलांट ने अपील पेश करने में जान बूझकर विलम्ब नहीं किया है। अपीलांट अनपढ महिला है। पूर्व में अपीलांट के भाई अपीलांट के हक हिस्से की भूमि की काश्त राशि उसे समय पर अदा करते थे किन्तु राशि नही देने पर जब उसने राशि की मांग की तो उसके भाईयों ने विवाद किया तथा कहा कि पिताजी की जमीन में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील पेश की। अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। उक्त विलम्ब न्यायहित में क्षम्य है। अतः अपील पेश करने में हुए विलमब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील अवधि मध्य समाअत फरमा कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा खोला गया इन्तकाल नंबर 95 दिनांक 15/09/1963 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 5 व 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील 60 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है जबकि अपील इंतकाल पेश करने की मियाद जिस दिन इंतकाल तस्दीक होता है उस दिन से 30 दिन की होती है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रस्तुत कारण काल्पनिक एवं मिथ्या है। नामान्तकरण के खुलने की जानकारी 60 वर्ष बाद होने का कोई विधिक एवं औचित्यपूर्ण कारण अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नियत अवधि में ही प्रस्तुत की जा सकती है तथा निहित अवधि में प्रस्तुत नही होने पर देरी के कारण का दिन प्रतिदिन के अनुसार कारण दर्शित करना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा मात्र यह कह देना कि उसे 60 साल पूर्व खुले इंतकाल की जानकारी माह जून 2023 में हुई है विधिसंगत प्रतीत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. कम 1, 3/1 ता 3/3 ने अभिभाषक रेस्पो. कम 5 व 6 के कथन की पुष्टि की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने अंकित किया है कि उसे अपीलाधीन इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी जून 2023 में हुई। इसके पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर इन्तकाल व पुराना राजस्व रेकार्ड निकलवाने तथा नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई। अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 15.09.1963 को खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जो कि अपील प्रस्तुत करने से 60 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व खोला गया है। 60 वर्ष से अधिक समय के पश्चात अपील पेश करने का कोई उचित, युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक कारण होना अवगत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट मियाद बाहर होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिख जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.20 10:12:16 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)